"राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार" हेतु स्कीम

1 नियमों की परिभाषा

स्कीम को "राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार" कहा जाएगा । स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित चार श्रेणियों के पुरस्कार होंगे :-

(क) सामुदायिक खेल-उभरती/युवा प्रतिभा की पहचान व पोषण करना ;

(ख) खेल उत्कृष्टता के लिए वित्तीय सहायता ;

(ग) खेल उत्कृष्टता अकादमियों की स्थापना व प्रबंधन ; तथा

(घ) खिलाड़ियों को रोजगार तथा अन्य खेल कल्याणपरक उपाय ।

2 उद्देश्य

पुरस्कार का उद्देश्य देश में खेलों के संवर्धन एवं विकास हेतु व्यवसायिक जगत की प्रतिभागिता को प्रोत्साहित एवं विकसित करना है ।

3 परिभाषा

इस स्कीम में, यदि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "स्कीम" का मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार हेतु स्कीम है ।

(ख) "समिति" का मतलब स्कीम के तहत गठित चयन समिति है ।

(ग) "पुरस्कार" का मतलब राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार है ।

(घ) "अध्यक्ष" का मतलब स्कीम के अंतर्गत चयन समिति का अध्यक्ष है ।

(ङ) "सरकार" का मतलब युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय है ।

(च) "खेल प्रशासक" का मतलब वह व्यक्ति है जो राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, खेल संगठनों, खेल कार्यक्रमों और खेल सेवाओं के वितरण के प्रबंधन/प्रशासन में शामिल हो ।

(छ) "अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता" का मतलब वह व्यक्ति जिसे भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया गया हो ।

(ज) "ओलंपियन" का मतलब वह व्यक्ति है जिसने भारत सरकार द्वारा अनुमोदित भारतीय दल के एक सदस्य के रूप में ओलंपिक खेल में भाग लिया हो ।

4. पात्रता

4.1 कोई व्यवसायिक समूह, सार्वजनिक या निजी, जिसने खेल संवर्धन और विकास के क्षेत्र में भूमिका अदा की हो । व्यक्ति/स्वामी संघ/सहभागी समूह, जिन्होंने इस क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो, पर भी इस स्कीम के अंतर्गत विचार किया जाएगा । वह समूह जिन्होंने पिछले वित्त वर्ष में खेल संवधन और विकास हेतु अपने कुल लाभ का न्यूनतम 5% या कम से कम 2 करोड़ रू0 का योगन कया हो, वे उपर्युक्त श्रेणी के पुरस्कारों पर विचार करने के लिए पात्र होंगे । परिव्यय जो केवल व्यवसायिक उद्देश्य के लिए किया गया हो, इस योगदान में शामिल नहीं होगा । इसी तरह से परिव्यय, जो खेल व्यापार के लिए किया गया हो, वह भी इसमें शामिल होगा । दूसरे शब्दों में देश में खेलों के संवर्धन और विकास के लिए किया गया योगदान जो व्यवसायिक समूह के सामाजिक जिम्मेदारी में एक हिस्से के रूप में गैर व्यापारिक योगदान हो, को ही संबंधित व्यवसायिक समूह का योगदान निर्धारित करते समय शामिल किया जाएगा ।

5. नामांकन

5.1 पुरस्कारों के लिए नामांकन नामांकन सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों, भारतीय ओलंपिक संघ, राज्य सरकारों, भारतीय खेल प्राधिकरण तथा विभिन्न सरकारी संगठनों के खेल कंट्रोल/संवर्धन बोर्ड जैसे कि अखिल भारतीय पुलिस खेल कंट्रोल बोर्ड,

आर्मी खेल कंट्रोल बोर्ड, रेलवे खेल संवर्धन बोर्ड, सेवा खेल कंट्रोल बोर्ड, भारतीय नौसेना खेल कंट्रोल बोर्ड तथा वायु सेवा खेल कंट्रोल बोर्ड अत्यादि से आमंत्रित किए जाते हैं । चयन समिति का गठन : चार श्रेणियों में पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गठित चयन समिति करेगी । चयन समिति प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा गठित की जाएगी । समिति में एक अध्यक्ष तथा

5.2 जिस कैलेंडर वर्ष के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे उसी वर्ष के लिए पुरस्कार दिए जाएंगे

5.3 नामांकन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय को निर्धारित प्रारूप में आवेदन फार्म सहित भेजे जांए ।

6. नामांकन की जांच पड़ताल

पैरा 5.1 में उल्लेखित संगठनों से प्राप्त सभी प्रस्तावों को आवेदक समूहों द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण/दावों की जांच पड़ताल एवं सत्यापन के लिए भारतीय खेल प्राधिकरण को भेजा जाएगा । भाखेप्रा अपने पास उपलब्ध रिकार्ड तथा अन्य स्रोतों के आधार पर इनका सत्यापन करेगा । भाखेप्रा मंत्रालय से नामांकन प्राप्त होने के एक महीने के अंदर इनका सत्यापन एवं पुष्टि करेगा ।

7. चयन की प्रक्रिया

7.1 चयन समिति का गठन : चार श्रेणियों में पुरस्कार भारत सरकार द्वारा गठित चयन समिति करेगी । चयन समिति प्रत्येक वर्ष भारत सरकार द्वारा गठित की जाएगी । समिति में एक अध्यक्ष तथा 12 सदस्य होंगे जिन्होंने खेल के क्षेत्र में सराहनीय कार्य किया हो, जैसा की नीचे दर्शाया गया है । अध्यक्ष उत्कृष्ट खिलाड़ी होगा । निदेशक/उप सचिव (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, चयन समिति का सदस्य सचिव होगा ।

1.	उत्कृष्ट खिलाड़ी	-	अध्यक्ष
2.	विभिन्न खेल विधा के उत्कृष्ट ओलंपिक खिलाड़ी	-	5 सदस्य
3.	विभिन्न खेल विधा के अर्जुन पुरस्कार प्राप्तकर्ता	-	4 सदस्य
4.	खेल प्रशासक	-	2 सदस्य
5.	महानिदेशक, भारतीय खेल प्राधिकरण	-	सदस्य
6.	संयुक्त सचिव (खेल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय	-	सदस्य
7.	निदेशक/उप सचिव (खेल) युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार	-	सदस्य सचिव

7.2 चयन मानदंड : समिति पुरस्कारों की चार श्रेणियों हेतु बहुउद्देशीय मानदंड के आधार पर नामांकन/आवेदन का मूल्यांकन करेगी जैसा कि नीचे दिया गया है :-

(क)	समुदाय खेल-उभरती प्रतिभा का पता लगाना तथा उसका पोषण	(i) सृजित खेल अवसंरचना का ब्यौरा (ii) अपनाए गए स्कूल, कालेज, विश्वविद्यालय, क्लब या अन्य ऐसी ईकाईयों की संख्या (iii) प्रशिक्षित खिलाड़ियों की संख्या (iv) प्रदान की गई उपस्कर सहायता तथा अन्य सहायता (v) आयोजित किए गए प्रतियोगिता/टूर्नामेंटों की संख्या (vi) उभरती किशोर प्रतिभा का पता लगाना तथा पोषण करना (vii) लक्षित समूह की खेल उपलब्धियां (viii) प्रशिक्षणार्थियों को दिया गया कोई अन्य प्रोत्साहन

(ख)	खेल उत्कृष्टता हेतु वित्तीय सहायता	(i) सहायता प्राप्त उत्कृष्ट खिलाड़ियों की संख्या (ii) प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धियां (iii) कोचों तथा तकनीकी पणधारियों का विकास (iv) कुल व्यय सहित, कोचों का प्रावधान, उपस्कर, प्रशिक्षण, प्रतियोगिता के प्रदर्शन के अवसर हेतु प्रदान की गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा
(ग)	उत्कृष्ट खेल अकादमियों की स्थापना तथा प्रबंध	(i) खेल विधा सहित सृजित/समर्थित अकादमियों की संख्या (ii) अकादमी में उपलब्ध क्षेत्र, अवसंरचना, उपस्कर, कोचों तथा वैज्ञानिक सहायता के बारे में ब्यौरा (iii) प्रशिक्षित किए जा रहे खिलाड़ियों की संख्या (iv) अकादमी में प्रशिक्षित खिलाड़ियों की उपलब्धियां (v) अकादमी की स्थापना पर हुआ कुल व्यय
(घ)	खिलाड़ियों को रोजगार और कल्याणकारी उपाय	(i) नियुक्त खिलाड़ियों की संख्या (ii) वेतन ढांचा सहित रोजगार का स्तर (iii) नियुक्त खिलाड़ियों को उपलब्ध कराए गए पदोन्नति के अवसर (iv) नियुक्त खिलाड़ियों की खेल उपलब्धियां (v) खिलाड़ियों के लिए अन्य कल्याणकारी उपाय

7.3 अध्यक्ष, सदस्य सचिव के परामर्श से समिति को सहायता करने के लिए समिति के सदस्यों में से पैनल गठित कर सकते हैं ।

7.4 अध्यक्ष जहां भी अपेक्षित हो निश्चित खेल विधाओं में विशेषज्ञ की सलाह ले सकता है ।

7.5 कोई भी व्यक्ति जो पुरस्कार के लिए नामाकित खिलाड़ी से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित हो, समिति का सदस्य बनने का पात्र नहीं होगा ।

7.6 समिति अपने कार्य की प्रक्रिया स्वंय तय करेगी ।

7.7 समिति की बैठक के लिए कोरम अध्यक्ष तथा सदस्यों का 75% होगा ।

7.8 समिति संदर्भ प्राप्त होने के एक महीने के अंदर भारत सरकार को अपनी सिफारिश भेजेगी ।

7.9 कार्यकारी निदेशक (टीम), भारतीय खेल प्राधिकरण समिति के विचार विमर्श के दौरान मौजूद होंगे ताकि यदि समिति को अपेक्षित हो तो कोई सूचनाएं/स्पष्टीकरण प्रदान किया जा सके ।

7.10 पूरी चयन प्रकियाएं गोपनीय रखी जाएगी । अध्यक्ष, समिति द्वारा किए गए विचार विमर्श तथा सिफारिशों की कड़ी गोपनीयता को बनाए रखने के लिए सदस्य सचिव के परामर्श से आवश्यक कदम उठा सकते हैं ।

7.11 चयन समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा । सरकार का निर्णय अंतिम होगा ।

8. राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कारों की संख्या

8.1 उपर्युक्त पैरा 1 में उल्लिखित पुरस्कार की प्रत्येक श्रेणी के लिए प्रत्येक वर्ष केवल एक पुरस्कार दिया जाएगा ।

9. सामान्य

9.1 पुरस्कारों की उपर्युक्त प्रत्येक श्रेणी में प्रशसस्ति पत्र और एक ट्राफी होगी । कोई नकद पुरस्कार नहीं होगी ।

9.2 सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाने वाली तारीख और स्थल पर आयोजित किए जाने वाले पुरस्कारों के वितरण समारोह में विजेताओं को पुरस्कार दिया जाएगा ।

10. व्यवसायिक समूह ने यह पुरस्कार किसी अन्य पुरस्कार के अलावा होगा जो उसी प्रकार की उपलब्धि के लिए अन्य संगठनों से प्राप्त किया हो

11. उसी प्रकार की श्रेणी के लिए उसी व्यवसायिक समूह को दूसरी बार कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा ।

12. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं के चयन में उचित संचेतना को सुनिश्चित करने के क्रम में मंत्रालय पुरस्कार प्राप्त कर्ताओं के नामों को अंतिम रूप देने के पूर्व आवश्यक सत्यापन करायेगा ।

13. राष्ट्रपति भवन में समारोह के दौरान पुरस्कार केवल उन्हीं पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं को प्रदान किए जाएंगे जो उपस्थित हों । पुरस्कार व्यवसायिक समूह के प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा अथवा प्रमुख/मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं ।

14. पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं जो राष्ट्रीय खेल दिवस पर पुरस्कार प्राप्त करने के लिए आने में असमर्थ है, बाद में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के मंत्री प्रभारी से प्राप्त कर सकते हैं ।

15. भारत सरकार विशिष्ट कारणों के लिए किसी पानेवाले पुरस्कार को रद्द कर सकता है और इसके पश्चात पुरस्कार पाने वाला प्रशस्ति पल और ट्राफी को वापस करना अपेक्षित होगा । एक बार रद्दीकरण वापस लेने के बाद उस पुरस्कार को बनाए रखने के लिए भारत सरकार सक्षम होगी ।

16. योजना को कवर किये जाने के मामलों और योजना के प्रावधानों के प्रतिपादन के संबंध में भारत सरकार का निर्णय अंतिम होगा और उसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होगा ।

17. समूह को पुरस्कार के लिए नामित योजना के प्रावधानों की स्वीकृति समझी जाएगी ।

18. प्रविष्टि के संबंध में किसी प्रपत्र में जांचना बना रहेगा ताकि प्रविष्टि अयोग्यता के लिए उत्तरदायी हो ।